परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7 (112) परि/नियम/मु./2002/पार्ट।। | 20162 जयपुर, दिनांक : 7.09.1

कार्यालय आदेश 32/2016

वर्तमान में नौकाओं को ऋण से क्रय करने पर वित्त पोषक संस्था/बैंक का नाम एवं विवरण लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण–पत्र में इंद्राज करने का कोई प्रावधान राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान नौकायन विनियमन नियम, 1957 में विद्यमान नहीं है। ऐसे में कतिपय संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरणों में वित्तपोषक संस्था/बैंक का विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा है, किंतु व्यवहारिक रूप से वित्तपोषक संस्था/बैंक का विवरण दर्ज करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं है। अतः भविष्य में नौकाओं का क्रय ऋण से करने पर वित्त पोषक संस्था/बैंक का नाम नौका के फिटनेस प्रमाण–पत्र एवं लाइसेंस में पृथक से इंद्राज किया जावे तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। इस हेतु सामान्य मोटर यान की भांति ही आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जावे। वित्त पोषक के प्रति विभाग का कोई उत्तरदायित्त्व नहीं होगा।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
क्रमांक : प.7 (112) परि/नियम/मु./2011/ 20163 –168. जयपुर, दिनांक : 7.09.1

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त).................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

6/9

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)